मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980*

क्रमांक 2069-1016-उन्तीस-80- चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि मध्य प्रदेश राज्य में मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल आयल की आपूर्ति बनाए रखने तथा उचित कीमतों पर उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

अतएव, भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक सम्भरण मंत्रालय (नागरिक संभरण तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्र.एस.ओ. 681 (ई) तारीख 30 नवंबर 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **'प्राधिकृत अधिकारी'** से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य तथा सिविल आपूर्ति विभाग और उसके अंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी आते हैं जो कि उसके द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किए जाए।

**(ख) ''व्यापारी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी तेल कंपनी द्वारा मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल या दोनों के क्रय, ग्रहण, भण्डार और विक्रय करने के लिये नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसी तेल कंपनी भी सम्मिलित है जो सीधे ही उपभोक्ताओं को मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड डीजल आयल का विक्रय करने में लगी हो और उसमें उसके कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे।

* म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 11.4.80 को पृष्ठ 579 में प्रकाशित (अधिसूचना क्रमांक 2069-1018 -29 भोपाल दिनांक 10.4.1980)

** अधिसूचना क्र. एफ-6-34/2004/29-1 दिनांक 20 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1](ख-1) **'छुट्टी के दिन'** से ऐसा दिन, जिस दिन व्यापारिक परिसर, तेल की बिक्री के लिए बंद रहेगा, अभिप्रेत है ;

[2](ग) **'आयल'** से अभिप्रेत है नीचे विनिर्दिष्ट किया गया कोई भी आयल

(एक) किसी हाइड्रोकार्बन आयल से मिलकर बनने वाली मोटर स्पिरिट चाहे वे एथनोल में मिश्रित हो अथवा नहीं हो (जिसमें कच्चा खनिज तेल सम्मिलित नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश क्रमांक आई.एस. - 2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो स्पार्क इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, और

[2](दो) किसी हाइड्रोकार्बन आयल से मिलकर बनने वाला हाईस्पीड डीजल आयल (जिसमें खनिज कोल्ज़ा आयल तथा तारपीन का अनुकल्प सम्मिलित नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश क्रमांक आई.एस. - 1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और काम्प्रेशन इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

[2](घ) **'तेल कंपनी'** से अभिप्रेत है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म या कंपनी, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुबंधों के अनुसार सीधे ही उपभोक्ताओं या व्यापारियों को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का विपणन और विक्रय करने में लगी हो।

(ङ) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार।

(च) **'संचालक'** से अभिप्रेत है संचालक खाद्य तथा सिविल आपूर्ति, म.प्र.।

(छ) **'अनुज्ञप्ति'** से अभिप्रेत है इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति और अभिव्यक्त अनुज्ञप्ताधारी का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(ज) **'अनुज्ञापन प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता हो जिसमें कि कोई व्यापारी अपना कारोबार करता हो, और उसमें ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा उससे विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र के हेतु अनुज्ञापन अधिकारी को इस आदेश के अधीन समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करें।

(ञ) **'उपभोक्ता'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीधे व्यापारी से मोटर स्पिरिट एवं /या हाई स्पीड डीजल क्रय करता है और उनका उपयोग अपने स्वयं के उपभोक्ता के लिये करता है।

1. अधिसूचना क्र. 2782-6830-उन्तीस दिनांक 15.4.82 द्वारा बढ़ाया गया।
2. अधिसूचना क्र. एफ-6-34/2004/29-1 दिनांक 20 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल के विक्रय तथा प्रदाय का विनियमन

(1) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर, स्टाक तथा मूल्य का एक पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें उस दिन के आयल का प्रारंभिक अतिशेष तथा प्रति लीटर विक्रय मूल्य दर्शाया जाएगा।

(2) उपखंड (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यापारी अपने कारोबार के परिसरों में आयल का स्टाक होने पर, किसी भी दिन कार्य के घंटों के दौरान किसी भी ग्राहक को आयल बेचने से बिना पर्याप्त कारण के इंकार नहीं करेगा या किसी ग्राहक को आयल बेचने की शर्त के रूप में कोई अन्य वस्तु क्रय करने के लिए विवश नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण

(एक) बाद की किसी तारीख को उच्चतर कीमत अभिप्राप्त करने की संभावना इस उपखंड के प्रयोजन के लिए पर्याप्त कारण नहीं समझी जाएगी।

(दो) इस उपखंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'काम के घंटे' से अभिप्रेत है इस आदेश के प्रांरभ होने के अव्यवहित पूर्ण व्यापारी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले काम के घंटे हैं।

(3) प्रत्येक व्यापारी यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगा कि उसके पास उसके कारोबार के परिसरों में से सभी समयों पर आयल का पर्याप्त स्टाक रहे।

[1](4) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के परिसरों में आयल के क्रय, विक्रय तथा संग्रहण के सही और ठीक लेखे बनाये रखेगा जो कि संव्यवहार के दिनांक से दो दिनों (छुट्टी के दिन को छोड़कर) लिखा जायेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा

(क) दिन का आरंभिक स्टाक;

(ख) दिन के दौरान प्राप्त की गई मात्रा;

(ग) दिन के दौरान बेची गई, परिदत्त की गई या अन्यथा व्ययनित की गई मात्रा;

(घ) दिन का बंद स्टाक, और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियों जैसा कि कोई प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक आयल कंपनी तेल के क्रय, विक्रय के लिए संग्रहण के विषय में और उस भाषा तथा उस रीति के विषय में जिसमें कि उसके लेखे बनाए रखे जाएँगे तथा स्टाक विवरणों की प्रस्तुति के विषय में भी ऐसे निदेशों का पालन करेगा/करेगी जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में उसे दिए जाए।

1. अधिसूचना क्र. 2783-6830-उन्तीस -2-82 दिनांक 15.4.82 द्वारा संशोधित म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 27.3.82 में प्रकाशित।

(6) कोई भी व्यापारी मध्य प्रदेश में आयल की पूर्ति बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कोई कार्य नहीं करेगा।

(7) किसी व्यापारी या किसी आयल कंपनी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी उपभोक्ता को आयल का विक्रय नहीं करेगा और कोई उपभोक्ता किसी व्यापारी या आयल कंपनी के सिवाय किसी अन्य से तेल की अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा।

4. व्यापारियों का अनुज्ञापन

(1) कोई भी व्यक्ति, प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन तथा अनुसार के सिवाय आयल के व्यापारी के रूप में कारोबार नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस आदेश के प्रांरभ के समय, आयल के व्यापारी के रूप में कारोबार में लगा हुआ हो, ऐसे आदेश के प्रारंभ होने से तीस दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा।

5. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(1) अनुज्ञप्ति या उसके नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इस प्रकार किया जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास, उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञप्ति समाप्त होने वाली हो, कम से कम 30 दिन पूर्व पहुँच जाए और किसी भी दशा में उससे 15 दिन के पश्चात नहीं।

6. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

इस आदेश के अधीन जारी की गई, पुनः जारी की गई या नवीनीकृत की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप 'ख' में होगी।

7. अनुज्ञप्ति की कालावधि तथा प्रभार फीस

(1) इस आदेश के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति व्यापारी के अनुरोध पर अधिकतम तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए जारी की जा सकेगी, पुनः जारी की जा सकेगी, या नवीनीकृत की जा सकेगी और जब तक कि पूर्व में ही निलंबित या प्रतिसंहृत न की जाए उसके जारी किए जाने या अंतिम नवीनीकरण की तारीख से उस वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर को, जब तक कि लिए वह जारी की गई है या नवीनीकृत की गई है, समाप्त हो जाएगी।

[1](2) इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने या नवीनीकरण के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी

1. अधिसूचना क्र. एफ-6-34/2004/29-1 दिनांक 20 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) एक वर्ष के लिए रु. 1000/-

(ख) दो वर्ष के लिए रु. 2000/-

(ग) तीन वर्ष के लिए रु. 3000/-

(3) कारोबार के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जाएगी।

8. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना

यदि इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति खो जाए, नष्ट हो जाए, निरुपित हो जाए, फट जाए या अस्पष्ट हो जाए, तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए तुरंत आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे [1]रुपए एक हजार की फीस का भुगतान किए जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्ति की ऐसी प्रत्येक 'दूसरी प्रति' पर दूसरी प्रति मुद्रांकित किया जाएगा।

9. अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी, संबंधित व्यापारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति जारी करने से या अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण से इंकार कर सकेगा।

10. निर्देशों का अनुपालन

अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निदेशों का अनुपालन करेगा जो कि यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिए संग्रहण तथा व्ययन के संबंध में लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर दिए जाएँ।

11. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन

इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति का धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों या शर्तों से किसी भी निर्बन्धन या शर्त का या इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि ऐसा धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उक्त निर्बन्धनों या शर्तों या उपबंधों में से किसी भी निर्बन्धन या शर्त या उपबंध का उल्लंघन करता है ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकेगी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द किया, निलंबित भी की जा सकेगी :

1. अधिसूचना क्र. एफ-6-34/2004/29-1 दिनांक 20 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]परंतु शर्त यह है कि इस खंड के अंतर्गत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस आयल कंपनी से, जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी ने संविदा किया हो, विकल्प न प्राप्त कर लिया गया हो और प्रस्तावित रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु आगे और यह शर्त है कि, पूर्वगामी परंतुक के अंतर्गत इस संबंध में कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या समकक्ष स्तर के अधिकारी से पत्र की प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कंपनी की राय को समावेश करते हुए, कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तब यह माना जाएगा कि आयल कंपनी प्रस्तावित कार्यवाही के लिए सहमत है और अनुज्ञापन प्राधिकारी जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी

खंड 11 में अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी जहाँ कोई अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्र. 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन दिए गए आयल से संबंधित किसी आदेश के उल्लंघन के संबंध में विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा :

परंतु जहाँ किसी अपील या पुनरीक्षण में ऐसी दोषसिद्धि का समर्थन न किया जाए, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी उस व्यक्ति द्वारा जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, प्ररूप 'क' में आवेदन करने पर उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुनः जारी कर सकेगा।

13. नई अनुज्ञप्ति जारी करना

अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहाँ इस आदेश के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द की जाय, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को मूल अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेगा।

14. प्रतिभूति का निक्षेप

[2]इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी उसे अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास दस हजार रुपए की रकम जमा करेगा और तत्पश्चात उसे खंड 6 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी और ऐसे व्यापारी जिसे दिनांक 20.7.04 से पूर्व खण्ड 6 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर शेष राशि जमा करना होगी।'

1. अधिसूचना क्र. 2782-6830-उन्तीस दिनांक 15.4.82 द्वारा बढ़ाया गया।
2. अधिसूचना क्र. एफ-6-34/2004/29-1 दिनांक 20 जुलाई 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपखंड (1) में निर्दिष्ट की गई प्रतिभूति की रकम ऐसे रूप में होगी जैसा कि संचालक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण

(1) खंड 11 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण मांगा गया है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षिप्त की गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को आदेश द्वारा समपहृत कर सकेगा और उस आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करेगा

(2) यदि प्रतिभूति की रकम खंड 14 के उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट रकम से किसी भी समय कम हो जाए तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर प्रतिभूति की उतनी रकम तत्काल निक्षेप करेगा जिससे कि वह रकम पूरी हो जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त बाध्यताओं का सम्यक पालन किए जाने पर प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग जो पूर्वोक्तानुसार समपहृत न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा।

16. अपील

अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति मंजूर करने, पुन: जारी करने या नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या उसे निलंबित करने या इस आदेश के उपबंधों के अधीन 'अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षेप की गई प्रतिभूति को समपहृत करने के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी का आदेश उसे प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त को अपील कर सकेगा।

17. पुनरीक्षण

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्रेरण से या किसी व्यक्ति, पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले के अभिलेख मंगा सकेगी और उनकी जाँच कर सकेगी, और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु वह किसी आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं करेगी या उसे तब तक नहीं उलटेगी जब तक कि प्रस्तावित आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और भी कि पुनरीक्षण के लिए भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को उस आदेश की जिसके विरुद्ध आवेदन किया जा रहा हो, संसूचन की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे प्रस्तुत न किया जाए।

18. जानकारी मांगने की शक्ति

प्रत्येक व्यापारी, यदि उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों या प्राधिकृत अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा लिखित में जारी किए गए सामान्य या विशेष निदेशों द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो अपने कारोबार से संबंधित वैसी बहियाँ, लेखे तथा अभिलेख, रखेगा और उस या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को अपने कारोबार से संबंधित ऐसी विवरणी तथा जानकारी, जिसमें इस आदेश के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात जैसा कि निर्देश में उल्लिखित किया जाएं, आयल से संबंधित विवरणी तथा जानकारी सम्मिलित है, प्रस्तुत करेगा।

19. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति

[1](1) प्राधिकृत अधिकारी या मध्य प्रदेश शासन के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति का कोई अधिकारी जो [2](सहायक खाद्य निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से निम्न पद का न हो, या कोई पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का ना हो) इस आदेश के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से

(क) किसी व्यक्ति की या उसके नियंत्रण के अधीन की किन्हीं बहियों या दस्तावेजों या के लेखाओं तथा साथ ही आयल के किसी स्टाक का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा ;

(ख) किसी व्यक्ति से आयल के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिए किसी कारोबार या उपक्रम के संबंध में जानकारी, जो उसके पास है देने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी यान या जलयान को जिसका गोदाम से या ऐसे किन्हीं परिसरों या स्थानों से, जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि आयल संग्रहित किया गया है, आयल के परिदान के लिए उपयोग किया गया हो या किया जाने का संदेह है, रोक सकेगा तथा ऐसे मददगारों तथा सलाहकारों के साथ, जो कि आवश्यक हो, तत्काल तलाशी ले सकेगा ;

(घ) ऐसे किसी गोदाम या परिसरों या स्थानों में ऐसे मददगारों या सहायकों के साथ जो कि आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा ; और

(ङ) आयल के किसी भी स्थान को संपूर्ण मात्रा को ऐसे अंतर्विष्ट का या पात्रों सहित जिनमें कि ऐसा स्टाक पाया गया हो, तथा ऐसे यानों, ऐसे जलयानों या ऐसे अन्य वाहनों को, जो कि स्टाक को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए हों, ऐसे मददगारों या सहायकों के साथ, जोकि आवश्यक हो अभिग्रहण कर सकेगा तथा हटा सकेगा

---

1. अधिसूचना क्र. एफ-18.5.84 उन्तीस-2 दिनांक 26.5.88 द्वारा यथा संशोधित।
2. अधिसूचना क्र. 2783-6830-उन्तीस -2-82 दिनांक 15.4.82 द्वारा यथा संशोधित।

यदि उसे वह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे स्टाक या उसके किसी भाग के संबंध में या आयल के किसी अन्य स्टाक के संबंध में जो उल्लंघन के अन्य वहित पूर्व ऐसे स्टाक के साथ संग्रहीत किया गया हो या कब्जे में रखा गया था इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, और तत्पश्चात इस प्रकार अभिग्रहण किए गए आयल के स्टाक, अंतर्विष्टकों, पात्रों, यानो, जलयानों या अन्य वाहनों को जिले के कलेक्टर के जिसका कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) को धारा 6-क से 6-घ तक के उपबंधों के अधीन अधिकारिता हो, समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा पेश किए जाने तक उनके सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा या उपाय करने के लिए किसी को प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिसरों या स्थानों के निवासियों या अधिवासियों की सामाजिक तथा धार्मिक रुढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा।

20. छूट

राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से समस्त या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को किसी वर्ग को छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

प्ररूप 'क'
(खंड 5 देखिए)

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीनीकरण के लिए आवेदन

1. जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसका नाम ....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में ....
3. पिता /पति का नाम ....
4. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता................
5. क्या फर्म एकमात्र स्वत्वधारी संस्थान है या भागीदारी फर्म है या निगमित कंपनी है कृपया यह भी बताईए कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत नहीं है ....
6. स्वत्वधारी का नाम तथा पता / भागीदारी के नाम तथा पते ....
7. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहाँ कारोबार संपादित किया जाना है ....
8. आयल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते..........
9. आयल का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है- जैसे मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड या हाई डीजल या दोनों ....
10. आवेदक कितने समय से आयल का व्यापार कर रहा है

11. आयल की मात्रा जिसका गत वर्ष के दौरान व्यापार किया गया ....
12. आयल की कारोबार करने के लिए नगरपालिका की अनुज्ञप्ति का क्र. यदि कोई हो ....
13. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में आयल की मात्रा............
14. मद 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति को छोड़कर फर्म द्वारा पेट्रोलियम नियमों के अधीन धारित अनुज्ञप्ति की, यदि कोई हों विशिष्टियाँ।
15. फुटकर निकासी के मामले में कृपया उस आयल कंपनी का नाम बताइये, जिसका कि फर्म एक अनुमोदित व्यापारी है और नियुक्ति -पत्र की एक अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न कीजिए।
16. क्या आवेदक या फर्म का कोई भागीदार या निदेशक या पदाधिकारी या फर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गयी है यदि हां तो कृपया संक्षेप में उसकी विशिष्टियां तथा उसको अधिनिर्णीत किए गए दंडादेश का वर्णन कीजिए।
17. क्या फर्म के विरुद्ध उत्पादों से संबंधित किसी अपराध के लिए कोई मामला लंबित है यदि हां तो संक्षेप में उसकी विशिष्टियां तथा वर्तमान स्थिति बताइए।
18. क्या आवेदक या फर्म का कोई अन्य भागीदार/पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादकों/पेट्रोल या डीजल पंप का कारोबार चला रहा है या क्या वह किसी फर्म का स्वत्वधारी भागीदारी पदाधिकारी है यदि हां तो कृपया पूर्ण विवरण दीजिए।
19. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण ....

    केन्द्रीयं विक्रय कर...............

    स्थानीय विक्रय कर..........

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर विनिर्दिष्ट की गई आयल की मात्रा आज मेरे कब्जे में है और ऊपर अंकित स्थानों पर रखी है।

मैने/हमने मध्यप्रदेश मोटरस्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 से संलग्न प्ररूप ख में अनुज्ञप्ति की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मैं / हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं / हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम अनुज्ञप्ति क्रमांक .... तारीख .... के जो कि मुझे / हमें तारीख .... को जारी की गई है नवीनीकरण के लिए, एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ख'
(खंड 6 देखिए)

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापालन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिए संग्रहण हेतु अनुज्ञप्ति -

अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

जारी करने की तारीख..........

अनुज्ञप्ति फीस ....रुपए चुकाई गई।

1. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए श्री .... (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) व्यापारी के रूप में आयल का क्रय करने, विक्रय करने या विक्रय के लिए संग्रहण करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है/किए जाते हैं।

2.(क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त कारोबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा ; ....

(ख) अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिए आयल का संग्रह निम्नलिखित स्थानों पर करेगा ....

टिप्पणी - यदि अनुज्ञप्तिधारी ऊपर, विनिर्दिष्ट किए गए स्थानों को छोड़कर अन्य स्थान में आयल का संग्रह करता है तो वह ऐसे संग्रहण के 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसकी जानकारी देगा और ऐसी जानकारी के साथ अनुज्ञप्ति को भी उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए पेश करेगा।

[1]3. (एक) अनुज्ञप्तिधारी उस दशा में ; के सिवाय जब कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्टत: छूट दे दी गई हो, निम्नलिखित प्रारुप मे स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर रखेगा -

स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर

तारीख	आरंभिक स्टाक	प्राप्ति	योग	विक्रय	अतिशेष बुक स्टाक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अंतिम मीटर वाचन	अंतिम तल वाचन (डिपरीडिंग) (सेंटीमीटर/लीटर)	कालम (7) तथा (8) के बीच का अंतर	टिप्पणियाँ
(7)	(8)	(9)	(10)

1. अधिसूचना क्र. एफ. 18-5/29/दो/84 दिनांक 13.5.86 द्वारा समाविष्ट। म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 15.5.86 पृष्ठ 389 में प्रकाशित।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन के लिए अपने लेखे संव्यवहार को तारीख से दो दिन (अवकाश दिन छोड़कर) के भीतर पूर्ण करेगा जब तक कि यह युक्तियुक्त कारण से निवारित न किया गया हो, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी

(एक) आयल के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण को अंतर्वलित करने वाले किसी भी संव्यवहारों में परिकल्पित रीति में शामिल नहीं होगा जिससे कि बाजार में आयल के प्रदाय की सहज उपलब्धता को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(दो) विक्रय के लिए साधारणत: रखे गए आयल को बेचने से रोक नहीं रखेगा।

(तीन) किसी भी प्रकार का आयल किसी भी स्थान में उस कीमत से, जो कि ऐसे स्थान में आयल के विक्रय के लिए विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके उत्पादक द्वारा किसी बस्ती में आयल के विक्रय के लिए निर्यात की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर ऐसी बस्ती में आयल नहीं देगा या बेचने के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर अपने काम के घंटे तथा साथ ही दैनिक प्रारंभिक स्टाक और वह कीमत जिसमें आयल बेचा जाएगा सुस्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित करेगा।

[1]8. अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा में के सिवाय जबकि उस राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे विशिष्टत: छूट दे दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति एक सही रसीद या बीजक (इन व्हायस) यदि उसके द्वारा ऐसी मांग की जाए, जारी करेगा जिसमें अपने स्वयं का नाम और पता तथा ग्राहक का नाम और पता, संव्यवहार की तारीख, बेचे गए तेल की मात्रा तथा दर और प्रभारित की गई पूरी कीमत दर्शाई जाएगी और वह प्रतिपर्ण या उसकी दूसरी प्रति को पुस्तक के रूप में रख लेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध रहेगी।)

[1]9. अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित प्ररूपों में सही मासिक विवरण एवं उसके व्यापार के संबंध में ऐसी जानकारियां जैसी कि उससे मांगी जाए, अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा जिससे कि आगामी माह की सातवीं तारीख उसे प्राप्त हो जाए और तेल की खरीदी, बिक्री भंडारण, बिक्री के लिए और तेल के व्ययन के संबंध में संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्यप्रदेश के प्राधिकृत पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वार समय-समय पर दिए जाने वाले अनुदेशों का पालन करेगा /यथा

1. अधिसूचना क्र. एफ. 18-5/29/दो/84 दिनांक 13.5.86 द्वारा समाविष्ट। म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 15.5.86 पृष्ठ 389 में प्रकाशित।

(क) माह के प्रथम दिन तेल का प्रारंभिक अतिशेष
(ख) माह के दौरान तेल की प्राप्ति
(ग) प्राप्ति का स्थान एवं स्त्रोत
(घ) स्तंभ (क) एवं (ख) का योग
(ङ.) माह के दौरान तेल की कुल बिक्री/प्रदाय
(च) माह के प्रथम दिन बंद अतिशेष
(छ) टिप्पणी यदि कोई हो (इस स्तंभ में बिक्री हुई परंतु प्रदाय नहीं की गई किसी मात्रा का पूर्ण विवरण उसके कारणों सहित प्रदर्शित किया जा सकता है।

10. अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे मोटर आयल के विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय का प्रयत्न नहीं करेगा जो विहित मानकों के अनुरूप न हो या आयल के विक्रय के लिए त्रुटिपूर्ण मापों या पैमानों का उपयोग नहीं करेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी, आयल के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिए उसके द्वारा उपोग में लाए गए किसी दुकान, गोदामों या अन्य स्थान पर अपने स्टाकों तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिए तथा परीक्षण के लिए आयल के नमूने लेने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या संचालक द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधाएं देगा।

12. यह अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

13. यह अनुज्ञप्ति तारीख ...... तक विधिमान्य रहेगी।

स्थान ....

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)

तारीख ....

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

अधिसूचना

क्र. 2072-1018-XXIX - II - 80 भोपाल दिनांक 10 अप्रेल 1980

(म.प्र. राजपत्र असाधारण में पृष्ठ 594 पर दिनांक 11.4.80 को प्रकाशित)

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एण्ड हाई स्पीड डीजल आइल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 2 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा समस्त खाद्य अधिकारियों और खाद्य नियंत्रकों को अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो अपने-अपने जिले की सीमाओं के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

•••